

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10(134)नविवि/3/2010

जयपुर दिनांक 20.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को राजलदेसर (जिला चूरु) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्रम सं०	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1	राजलदेसर	RAJALDESAR
2	परसनेऊ	PARSANEU
3	जेगनिया बीकान	JEGNIYA BIKAN
4	दस्सूसर	DASSUSAR
5	सिमसिया बीदावतान	SIMSIYA BIDAWATAN
6	भरपालसर चरणान	BHARPALSAR CHARNAN
7	भरपालसर लाडखनिया	BHARPALSAR LADKANI
8	आबडसर	ABADSAR
9	बण्डवा	BANDWA
10	भावन देसर	BHAWAN DESAR
11	लूणासर	LOONASAR

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
6. जिला कलेक्टर, चूरु।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजलदेसर।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक